वित्तीय बैंक प्रकरण सं0 42/2018(RCMS-2018/00073) ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा पदमपुर जरिये आ.आर.एल. कलस्टर, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स ताज हाईटैक इरिगेशन 2. नाजम सिंह 3. बूटा सिंह (जमानतदार)

20.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सरपाल की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री जितेन्द्र सरपाल का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा मैसर्स ताज हाईटैक इरिगेशन, नाजम सिंह को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 8,00,000/–रूपये (अखरे रूपये आठ लाख़ मात्र) दिनांक 04.09.2014 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 बूटा सिंह की सम्पत्ति आहाता नं 06, वीपीओ तामकोट तहसील पदमपुर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उक्त अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 30.07.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 15.02.2018 को कुल 5,85,583/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त थे। उक्त अप्रार्थीगण 1 से 3 को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 19.08.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है और न ही नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी पेश किया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी जमानतदार बूटा सिंह की सम्पत्ति आहाता नं 06, वीपीओ तामकोट तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मैसर्स ताज हाईटैक इरिगेशन, व नाजम सिंह को दिनांक 04.09.2014 को ऋण सुविधा के रूप में 8,00,000/–

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

(अखरे रूपये आठ लाख रूपये) की ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संख्या 03 जमानतदार बूटा सिंह द्वारा अपनी अचल सम्पति आवासीय आहाता नं 06, वीपीओ तामकोट जिला श्रीगंगानगर में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी हुई है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 30.07.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों एवं बंधककर्त्ता श्री बूटा सिंह जमानतदार जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामी है, को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 19.08.2017 को डाक द्वारा भिजवाये गये, जिसकी प्राप्ति रसीद के फलस्वरूप पोस्ट ऑफिस के Delivery किये जाने की रिपोर्ट शामिल है और प्रार्थी बैंक ने वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत भौतिक कब्जा चाहा है। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 30.07.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 19.08.2017 को डाक द्वारा भिजवाये गये।

धारा 13(2) का जारी नोटिस की तामील के बावजूद प्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज उक्त जमानतदार श्री बूटा सिंह की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पति आहाता नं 06, वीपीओ तामकोट तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलाने का प्रश्न है, उक्त सम्पत्ति जमानतदार बूटा सिंह के नाम से है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 19.08.2017 की तामील का प्रश्न है, बैंक के प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 19.08.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने के लिए धारा 13(2) का ज़ारी रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थीगण ऋणी मैसर्स ताज हाईटैक एवं प्रो नाजम सिंह व जमानतदार बूटा सिंह को प्राप्त हो चुके है, परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की डाक वितरण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त ऋण राशि को जमा नहीं करवाया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया का है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई जमानतदार बूटा सिंह की उक्त आवासीय सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.2018 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ऋणीयों द्वारा से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई जमानतदार बूटा सिंह की बंधक रखी गई अचल सम्पत्ती आहाता नं 06, वीपीओ तामकोट तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पतियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर